तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
19.12.2023	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है, कि प्रतिवादी संख्या 1 भगवती प्रसाद का निधन दिनांक 17.01.2021 को हो गया। प्रकरण की कार्यवाही सुचारू रखने हेतु मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान में उसकी पत्नी मिथलेश कुमारी पुत्रगण राजेश व दीपक एवं पुत्री मंजू है। उनको पक्षकार प्रकरण बनाये जाने की अनुमति और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील कायम मुकामान संख्या 1/1 लगायत 1/4 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया, कि प्रतिवादी संख्या 1 का निधन दिनांक 17.1.2021 को हुआ यह सही है, और उत्तरदाता अधिवक्ता ने भगवती के निधन की सूचना दिनांक 22.06.2021 को न्यायालय के समक्ष दी थी। वादीगण के अभिभाषक ने भगवती के वारिसान की कोई जानकारी नहीं चाही। प्रार्थना पत्र जानकारी तिथी से 9 माह का समय व्यतीत हो जाने पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र समय से पेश नहीं करने से वाद उपशमित हो चुका है, वादीगण ने उपशमन से बचने के लिए काल्पनिक बात अंकित की है, कि मृतक भगवती के अधिवक्ता ने सूचना दिनांक 11.03.2022 को ही दी उससे पूर्व वादी के अभिभाषक को मृत भगवती के वारिसान के बाबत् कोई जानकारी नहीं थी। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है। वादीगण का वाद उपशमित हो चुका है। वादीगण के प्रार्थना पत्र में उपशमन को निरस्त कराने की प्रार्थना नहीं की है, और ना ही म्याद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाने और वाद वादीगण उपशमित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाने का निवेदन किया है। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने की सूचना उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 22.03.2022 को हुई और उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपने कथनों के समर्थन में निम्नानुसार कानूनी नजीरें पेश करते हुए वकील वादीगण ने कथन किया कि, प्रार्थना पत्र के गुणदोष के आधार पर पक्षकार को केस लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता है, (2021 (2) डीएनजे राज. पेज संख्या 534)। वारिसान को पक्षकार प्रकरण बनाये जाने में हुए विलम्ब के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 की आवश्यकता नहीं है, (2015(2) डीएनजे राज. पेज संख्या 749)। प्रक्रियात्मक कानूनों को पार्टी को दण्डित किये जाने वाले प्रावधान नहीं समझना चाहिए (2018 डीएनजे एससी पेज संख्या 456),	

सहायक कलक्टर धौलपुर
धौलपुर (राज०)

विशेष रूप से उपशमन को रद्द करने की प्रार्थना किये बिना वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने की प्रार्थना को उपशमन को अलग करने की प्रार्थना के रूप में माना जा सकता है (2017 (1) डीएनजे राज. पेज संख्या 276)। आदेश 22 नियम 4 व 9 के प्रार्थना पत्र में हुई देरी के लिए उदारता पूर्वक विचार करना चाहिए (2015 (4) डीएनजे राज. पेज संख्या 1465)। अतः प्रकरण में हुए उपशमन को अपास्त करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीगण/कायम मुकामान संख्या 1/1 लगायत 1/4 ने अपनी बहस में कथन किया कि वकील वादीगण ने गलत तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने की सूचना दिनांक 22.06.2021 को ही न्यायालय को दे दी। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र काफी देरी से पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की म्याद 90 दिन तथा विशेष परिस्थिति में 60 दिन का और समय दिया जाकर कुल 150 दिन की म्याद होती है। वकील वादीगण द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु कोई उचित कारण बताया है, और ना ही म्याद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर म्याद अधिनियम धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील वादीगण द्वारा जानबूझकर देरी की है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में निम्नानुसार कानूनी नजीरें पेश करते हुए वकील वादीगण ने कथन किया कि, आदेश 22 नियम 3 व 4 सीपीसी के अन्तर्गत वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में यदि 90 दिन से अधिक का समय हो जाता है, तो दावा वादीगण स्वतः ही उपशमित हो जाता है (2017 आरबीजे पेज संख्या 386)। प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण दावा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध विचारणीय नहीं रहा है। यदि शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा चलाया जाता है, तो दो विरोधाभासी डिक्री पारित होने की संभावना रहेगी,(2010 आरआरटी पेज संख्या 1437)। यदि मृतक और अन्य पक्षों के हित अलग–अलग नहीं है तो अपील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है (2005 (2) आरआरटी पेज संख्या 1456)। उक्त प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण के हित समान है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए दावा वादीगण अवैटमेन्ट में पूर्णतः खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनने और पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु दिनांक 11.03.2022 को प्रस्तुत किया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 17.01.2021 को हो गई थी, वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने उनके मृत्यु की सूचना न्यायालय एवं पत्रावली रिकार्ड पर दिनांक 22.06.2021 को ही दे दी थी। वकील वादीगण का यह कथन, कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 के मृत्यु की सूचना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 11.03.2022 को ही हुई सत्य प्रतीत नहीं होता

है, तथा वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दिनांक के 9 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, साथ ही इस हुई देरी के बाबत् कोई भी उचित एवं संतोषप्रद कारण नहीं बताया है, और ना ही म्याद अधिनियम धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी खारिज किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के उपरांत विधिक रूप से विवादित आराजी में उसके वारिसान के खातेदारी अधिकार निहित हो चुके हैं। परन्तु तकनीकी कारणों से उक्तानुसार खारिज प्रार्थना पत्र के कारण वारिसान को हाजा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। वारिसान को पक्षकार बनाये बिना दावे की सुनवाई कर कोई डिक्री पारित की जाता है तो विधिक वारिसान के वैध अधिकारों के विरूद्ध निर्णय होने अथवा किसी भिन्न प्रकरण में वारिसान के प्रति या विरूद्ध कोई विरोधाभासी निर्णय एक ही विषयवस्तु पर जारी होने की आंशका रहेगी। उक्त तथ्यों के संदर्भ में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें 2017 आरबीजे पेज संख्या 386, 2010 आरआरटी पेज संख्या 1437, 2005 (2) आरआरटी पेज संख्या 1456 के अध्ययन से स्पष्ट है, कि वह हाजा प्रकरण पर हूबहू लागू होती है, तथा दावा किसी एक प्रतिवादी के पक्ष में उपशमन होने से दावा पूर्णतः उपशमित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)